अनुदान संख्या 62 – पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय
GRANT No. 62 – DEPARTMENT OF DRINKING WATER & SANITATION

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय + Exess + बचत - Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	128024,45,00	128024,46,00	109478,52,73	-18545,93,27
पूरक	Supplementary	1,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				18545,93,18

टीका और टिप्पणियां — ***Notes and comments***

1. अनुदान में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं/हुआः–

1. In the grant, savings/excess occurred under the following major heads: -

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष ''2215'' जल पूर्ति तथा सफाई	Major Head "2215" Water Supply and Sanitation				
मू.	O.	4109752.00	5455492.32	7126210.31	+1670717.99
पू.	S.	1.00			
पु.	R.	1345739.32			
मुख्य शीर्ष ''2552'' उत्तरपूर्वी क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas				
मू.	O.	589718.00	..	..	..
पु.	R.	-589718.00			
मुख्य शीर्ष ''3601'' राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments				
मू.	O.	7950040.00	5465617.70	3794899.70	-1670718.00
पु.	R.	-2484422.30			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष ''3602'' विधान मंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3602" Grants - in - aid to Union Territory Grovenments with Legislature				
मू.	O.	150400.00	24000.00	24000.00	..
पु.	R.	-126400.00			

(I) ₹631518.00 लाख का प्रावधान पांच शीर्षों के तहत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा–

(I) Provision of ₹631518.00 lakhs remained wholly unutilized under five heads under the following major heads: -

(का) "मुख्य शीर्ष ''2552'' –

(A) Major Head "2552" -

(क) ''जल पूर्ति – ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम – जल जीवन मिशन'' – ₹500110.00 लाख; और

(a) "Water Supply- Rural Water Supply Programme – Jal Jeevan Mission" - ₹500110.00 lakhs; and

(ख) ''मलजल और स्वच्छता – स्वच्छता सेवाएं – स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण)'' – ₹89608.00 लाख।

(b) "Sewerage and Sanitation-Sanitation Services – Swachh Bharat Abhiyan (Gramin)" - ₹89608.00 lakhs.

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने तथा शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

Provisions under the above two heads remained unutilized due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(खा) मुख्य शीर्ष ''3602'' – ''केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमें''–

(B) Major Head "3602" - "Centrally Sponsored Schemes" -

(क) ''केन्द्रीय सहायता/हिस्सा – जल जीवन मिशन'' – ₹28424.00 लाख; और

(a) "Central Assistance/Share – Jal Jeevan Mission" – ₹28424.00 lakhs; and

(ख) ''अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना – जल जीवन मिशन'' – ₹9196.00 लाख।

(b) "Special Component Plan for Scheduled Castes – Jal Jeevan Mission" – ₹9196.00 lakhs.

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान कोविड–19 महामारी की वजह से स्कीम के कार्यान्वयन के प्रति कम निधियों की आवश्यकता और राज्यों के समतुल्य हिस्से को जारी करने में विलंब के कारण अप्रयुक्त रहे।

Provisions under the above two heads remained unutilized due to requirement of less funds towards implementation of the scheme owing to COVID-19 pandemic and delay in release of matching State share.

(ग) ''जनजाति क्षेत्र उप–योजना – जल जीवन मिशन'' – ₹4180.00 लाख – कार्यान्वयन एजेंसियों के पास पूर्ववर्ती वर्ष के अव्ययित शेष की उपलब्धता, उपयोग प्रमाण–पत्रों का प्राप्त न होना और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती के कारण।

(c) "Tribal Area Sub-Plan – Jal Jeevan Mission" – ₹4180.00 lakhs - due to availability of unspent balances of previous year with the implementing agencies, non-receipt of utilization certificates and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(खा) मुख्य शीर्ष ''2215'' – ''मलजल तथा स्वच्छता''– निम्नलिखित शीर्षो के अंतर्गत बचतें हुई :–

(II) Under Major Head "2215" – "Sewerage and Sanitation" - savings occurred under the following heads: -

(का) ''स्वच्छता सेवाएं – स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण)'' – ₹9431.60 लाख की बचत (₹113830.00 के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(A) "Sanitation Services – Swachh Bharat Abhiyan (Gramin)" - saving of ₹9431.60 lakhs (against the sanctioned provision of ₹113830.00 lakhs); and

(खा) ''आरक्षित निधि को अंतरण – केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि को अंतरण'' – ₹8140.06 लाख की बचत (₹113820.00 के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(B) "Transfer to Reserve Fund - Transfer to Central Road and Infrastructure Fund (CRIF)" - saving of ₹8140.06 lakhs (against the sanctioned provision of ₹113820.00 lakhs).

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें कोविड–19 महामारी की वजह से योजनाबद्ध गतिविधियों का आयोजन न किए जाने के कारण थी।

Savings under the above two heads were due to non-holding of planned activities owing to COVID-19 pandemic.

(III) मुख्य शीर्ष ''3601'' – ''केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमें'' – के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः–

(III) Under Major Head "3601" – "Centrally Sponsored Schemes" - savings occurred under the following heads: -

(का) ''केन्द्रीय सहायता/हिस्सा'' –

(A) "Central Assistance/Share" -

(क) ''स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण)'' – ₹360768.01 लाख की बचत (₹486127.00 के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयन एजेंसियों के पास पूर्ववर्ती वर्षों के अव्ययित शेष की उपलब्धता, उपयोग प्रमाण–पत्र प्राप्त न होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमानों के चरण में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(ख) ''जल जीवन मिशन'' – ₹1151319.72 लाख की बचत (₹1648552.64 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(खा) ''अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना''–

(क) ''जल जीवन मिशन''– ₹549642.53 लाख की बचत (₹695155.56 के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें कोविड–19 महामारी की वजह से स्कीम के कार्यान्वयन के प्रति निधियों की कम आवश्यकता, राज्य समतुल्य हिस्से को जारी करने में विलंब और वित्त मंत्रालय के निर्देश के अनुसार निधियों के राज्य या राज्य संघराज्य क्षेत्र के पास एस्क्रो खातों में अंतरण के कारण हुई।

(ख) ''स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण)'' – ₹152604.84 लाख की बचत (₹192637.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)हुई; और

(गा) ''जनजातीय क्षेत्र उप – योजना''–

(क) ''स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण)''– ₹59140.80 लाख की बचत (₹87208.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(a) "Swachh Bharat Abhiyan (Gramin)" - saving of ₹360768.01 lakhs (against the sanctioned provision of ₹486127.00 lakhs) was due to availability of unspent balances of previous year with the implementing agencies, non-receipt of utilization certificates and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(b) "Jal Jeevan Mission" - saving of ₹1151319.72 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1648552.64 lakhs); and

(B) "Special Component Plan for Scheduled Castes" -

(a) "Jal Jeevan Mission" - saving of ₹549642.53 lakhs (against the sanctioned provision of ₹695155.56 lakhs).

Savings under the above two heads were due to requirement of less funds towards implementation of the scheme owing to COVID-19 pandemic, delay in release of matching State share and transfer of funds to Escrow Accounts with the State/Union Territory as per directions of the Ministry of Finance.

(b) "Swachh Bharat Abhiyan (Gramin)"- saving of ₹152604.84 lakhs (against the sanctioned provision of ₹192637.00 lakhs); and

(C) "Tribal Area Sub-Plan" -

(a) "Swachh Bharat Abhiyan (Gramin)" - saving of ₹59140.80 lakhs (against the sanctioned provision of ₹87208.00 lakhs).

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें कार्यान्वयन एजेंसियों के पास पिछले वर्ष के अव्ययित शेष की उपलब्धता होने, उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त न होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण मे प्रावधान मे कटौती किए जाने के कारण हुई।

Savings under the above two heads were due to availability of unspent balances of previous year with the implementing agencies, non-receipt of utilization certificates and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(ख) ''जल जीवन मिशन'' – ₹210946.40 लाख की बचत (₹315979.80 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड–19 महामारी के कारण कम निधियों की आवश्कता होने, समान राज्य हिस्सा जारी करने मे विलंब होने और वित्त मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के पास एस्क्रो खातो मे निधियों का अंतरण होने में विलंब के कारण हुई।

(b) "Jal Jeevan Mission" - saving of ₹210946.40 lakhs (against the sanctioned provision of ₹315979.80 lakhs) was due to requirement of less funds towards implementation of the scheme owing to COVID-19 pandemic, delay in release of matching State share and transfer of funds to Escrow Accounts with the State/ Union Territory as per directions of the Ministry of Finance.

(घा) ''आरक्षित निधियों को अंतरण – केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि को अंतरण'' – ₹1670718.00 लाख की बचत (₹4524380.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड–19 महामारी की वजह से स्कीम के कार्यान्वयन के प्रति निधियों की कम आवश्यकता, समतुल्य राज्य के हिस्से को जारी करने में विलंब, उपयोग प्रमाण–पत्रों के प्राप्त न होने और पूर्ववर्ती वर्ष के अव्ययित शेष की उपलब्धता के कारण हुई।

(D) "Transfer to Reserve Fund – Transfer to Central Road and Infrastructure Fund (CRIF)" - saving of ₹1670718.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4524380.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards implementation of the scheme owing to COVID-19 pandemic, delay in release of matching State share, non-receipt of utilization certificates and availability of unspent balances of previous year.

(IV) मुख्य शीर्ष ''3602'' – ''केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमें'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः–

(IV) Under Major Head "3602" – "Centrally Sponsored Schemes" - savings occurred under the following heads:-

(का) ''केन्द्रीय सहायता/हिस्सा – स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण)'' के अंतर्गत –₹13900.00 लाख की बचत (₹23100.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयन एजेंसियों के पास पूर्ववर्ती वर्ष के अव्ययित शेष की उपलब्धता, उपयोग प्रमाण–पत्रों के प्राप्त न होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती के कारण हुई।

(A) "Central Assistance/Share – Swachh Bharat Abhiyan (Gramin)" - saving of ₹13900.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹23100.00 lakhs) was due to availability of unspent balances of previous year with the implementing agencies, non-receipt of utilization certificates and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(खा) ''अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना – स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण)'' – ₹3500.00 लाख की बचत (₹4500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(B) "Special Component Plan for Scheduled Castes – Swachh Bharat Abhiyan (Gramin)" - saving of ₹3500.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4500.00 lakhs) ;

(गा) ''जनजाति क्षेत्र उप–योजना – स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण)'' – ₹600.00 लाख की बचत (₹2400.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(C) "Tribal Area Sub-Plan – Swachh Bharat Abhiyan (Gramin)" - saving of ₹600.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2400.00 lakhs); and

(घा) ''आरक्षित निधि को अंतरण – केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि (सीआरआईएफ) को अंतरण'' – ₹66600.00 लाख की बचत (₹78600.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(D) "Transfer to Reserve Fund – Transfer to Central Road and Infrastructure Fund (CRIF)" - saving of ₹66600.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹78600.00 lakhs).

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत बचतें कोविड–19 महामारी की वजह से स्कीम के कार्यान्वयन के प्रति निधियों की कम आवश्यकता और राज्य के समतुल्य हिस्से को जारी करने में विलंब के कारण हुई।

Savings under the above three heads were due to requirement of less funds towards implementation of the scheme owing to COVID-19 pandemic and delay in release of matching State share.

2.(I) उपर्युक्त बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत – पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹1465285.91 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि दिसम्बर, 2021 में मुख्य शीर्ष "2215" के अंतर्गत ₹1.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:–

2.(I) The above savings were partly (₹1465285.91 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹1.00 lakh in December, 2021 under Major Head "2215" – "Water Supply" – under the following heads: -

(का) "ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम – जल जीवन मिशन"– ₹1007847.88 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹1007847.87 लाख हुआ।

(A) "Rural Water Supply Programme – Jal Jeevan Mission" - ₹1007847.88 lakhs. Actual excess, however, was ₹1007847.87 lakhs.

(खा) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना– जल जीवन मिशन" – ₹341226.37 लाख।

(B) "Special Component Plan for Scheduled Castes – Jal Jeevan Mission" - ₹341226.37 lakhs.

(गा) "जनजाति क्षेत्र उप–योजना – जल जीवन मिशन" – ₹116211.66 लाख।

(C) "Tribal Area Sub-Plan – Jal Jeevan Mission" - ₹116211.66 lakhs.

(II) बचतों को मुख्य शीर्ष "2215" – "आरक्षित निधियों को अंतरण – केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि (सीआरआईएफ) को अंतरण – के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित किया गया – "₹1568743.07 लाख का अधिक व्यय (₹2082600.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्त मंत्रालय के निर्देश के अनुसार राज्य कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा एस्क्रो खातों से निधियां जारी करने हेतु अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता के कारण हुआ।

(II) Savings were also offset by excess under Major Head "2215" - "Transfer to Reserve fund – Transfer to Central Road and Infrastructure Fund (CRIF)" - excess of ₹1568743.07 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2082600.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards release of funds from Escrow Accounts by State Implementing Agency as per directions of the Ministry of Finance.